

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

कालुराम पुत्र बगु खां
जाति कुनलभांग वेली
निवासी तमिषादारी जिला
बालोत्सा

मांगल खां पुत्र बगु खां
जाति मिवासी तमिषादारी
निवासी तमिषादारी जिला बालोत्सा

बनाम

मुकदमा संख्या १३४/२०२५

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--

००/१०/२५

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाबुराम व निवाली अन्तर्गत धारा १११.१२० राजस्थान क्र. १२१ अधिनियम १२५६ के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उत्तरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक १०/११/२५ को पेश हो।

पुनश्चः

पाबुराम शर्मा और प्रतिमा ३०.१०.२५
को पत्र छ/

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

३०.१०.२५

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

